

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

आबकारी निगरानी संख्या-16/2016/अजमेर

सुश्री रितु टांक पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण टांक,
ग्राम पंचायत पालरा, जिला अजमेर।

...प्रार्थीया

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान सरकार, पंचवटी, उदयपुर।
2. जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर

...अप्रार्थीगण

खण्डपीठ

श्री मदनलाल, सदस्य

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा

उप-राजकीय अभिभाषक

....प्रार्थीया की ओर से

....अप्रार्थी सं. 1 व 2 विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.04.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर (जिसे आगे 'आयुक्त' कहा गया है) के आदेश दिनांक 16.11.2015 प्रकरण संख्या 34/2014 के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'आबकारी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान आबकारी आयुक्त द्वारा जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2014 को यथावत रखा गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया को वर्ष 2009-10 के लिये देशी मदिरा समूह संख्या 14 अजमेर नगर निगम वार्ड न. 46 एवं ग्राम पंचायत पालरा का अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया। प्रार्थीया द्वारा वांछित समस्त औपाचारिकताये पूरी की गई। प्रार्थी ने ग्रामीण क्षेत्र की पालरा देशी मदिरा दुकान को कम्पोजिट राशि जमा कराकर कम्पोजिट श्रेणी में स्वीकृत कराया। इस स्वीकृति के अन्तर्गत प्रार्थी को देशी मदिरा दुकान पालरा को देशी मदिरा के साथ-साथ भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा बिक्री अनुमत की गई। इस समूह का प्रार्थी का अनुज्ञापत्र वर्ष 2010-11 के लिये नवीनीकरण किया गया। कम्पोजिट फीस 25,000/- रु. राजकोष में जमा कराने पर प्रार्थी को इस दुकान पर देशी मदिरा के साथ भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर विक्रय अनुमत किया गया। जिला आबकारी अधिकारी अजमेर ने बाद में यह पाये जाने पर कि लोकेशन की जांच करने पर कम्पोजिट दुकान पालरा नगर निगम अजमेर की

2m



लगातार.....2

सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में है जिससे वर्ष 2009-10 का कम्पोजिट शुल्क 6,00,000/- रु. व 2010-2011 का 7,20,000/- रु. बनता है, अपने आदेश दिनांक 08.07.2011 के द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्तिधीन देशी मदिरा दुकान पालरा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिये कम्पोजिट राशि की देय अंतर राशि 12,70,000/- रु. राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी वर्ष 2009-10 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा विक्रय के अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों की शर्त सं. 8.2 के अनुसार यदि कोई कम्पोजिट दुकान किसी नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा नगर परिषद की सीमा से 5 किलोमीटर तक की दूरी में यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई दुकान अवस्थित होती है, तो उससे लगते नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम क्षेत्र में दुकान हेतु जो दर प्रभावी है वही दर ऐसी दुकान हेतु लागू होगी। अन्य संभागीय मुख्यालय की श्रेणी में अजमेर हेतु यह दर 6,00,000/-रु निर्धारित थी। इसी शर्त के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी अजमेर ने आदेश दिनांक 28.07.2011 द्वारा बकाया राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध प्रार्थीया ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष एस.बी. सिविल याचिका संख्या 8839/2011 प्रस्तुत की। इस रिट याचिका को दिनांक 07.04.2014 को निर्णित करते हुये आदेश दिया कि प्रकरण की नये सिरे से जांच कर याचिका कर्ता अनुज्ञाधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये स्पष्ट आदेश पारित करें। प्रार्थीया ने दिनांक 05.05.2014 को जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुये जिला आबकारी अधिकारी अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 10.06.2014 द्वारा प्रार्थीया की कम्पोजिट दुकान पालरा को नगर निगम अजमेर की सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी से कम दूरी पर होने के कारण वर्ष 2009-10 के लिये 6,00,000/- रु. तथा वर्ष 2010-11 के लिये 7,20,000/- रु. देय होना बताया तथा राशि वसूल किये जाने के आदेश दिये। प्रार्थीया द्वारा माननीय आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 16.11.2015 द्वारा अपील खारिज कर जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2014 यथावत रखा है जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

20/2

1

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि देशी मदिरा दुकान पालरा का स्थल नगर निगम अजमेर की सीमा से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित होने के कारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 25000 रु. कम्पोजिट फीस देय है जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन में आबकारी निरीक्षक अजमेर ग्रामीण की रिपोर्ट के अनुसार देशी मदिरा दुकान पालरा अजमेर नगर निगम की सीमा से 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित होने के तथ्य को आधारहीन बताते हुये कथन किया कि अजमेर बाईपास के निकलने से तत्समय संचालित देशी मदिरा दुकान पालरा का स्थल अस्तित्व में नहीं है, ऐसी रिपोर्ट पर विधिक दृष्टिकोण से संज्ञान लिया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीया को देशी मदिरा दुकान प्रार्थीया को वर्ष 2009-10 के लिये देशी मदिरा समूह संख्या 14 अजमेर नगर निगम वार्ड न. 46 एवं ग्राम पंचायत पालरा का अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया। प्रार्थीया ने ग्रामीण क्षेत्र की पालरा देशी मदिरा दुकान को कम्पोजिट राशि जमा कराकर कम्पोजिट श्रेणी में स्वीकृत कराया। इस स्वीकृति के अर्न्तगत प्रार्थी को देशी मदिरा दुकान पालरा को देशी मदिरा के साथ-साथ भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा बिक्री अनुमत की गई। इस समूह का प्रार्थी का अनुज्ञापत्र वर्ष 2010-11 के लिये नवीनीकरण किया गया। कम्पोजिट फीस 25,000/- रु. राजकोष में जमा कराने पर प्रार्थी को इस दुकान पर देशी मदिरा के साथ भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर विक्रय अनुगत किया गया। जिला आबकारी अधिकारी अजमेर ने बाद में यह पाये जाने पर कि लोकेशन की जांच करने पर कम्पोजिट दुकान पालरा नगर निगम अजमेर की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में है जिससे वर्ष 2009-10 का कम्पोजिट शुल्क 6,00,000/- रु. व 2010-2011 का 7,20,000/- रु. बनता है, अपने आदेश दिनांक 08.07.2011 के द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्तिधीन देशी मदिरा दुकान पालरा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिये कम्पोजिट राशि की देय अंतर राशि

2M



12,70,000 /— रु. राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया। यहा यह उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी वर्ष 2009-10 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा विक्रय के अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों की शर्त सं. 8.2 के अनुसार यदि कोई कम्पोजिट दुकान किसी नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा नगर परिषद की सीमा से 5 किलोमीटर तक की दूरी में यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई दुकान अवस्थित होती है, तो उससे लगते नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम क्षेत्र में दुकान हेतु जो दर प्रभावी है वही दर ऐसी दुकान हेतु लागू होगी। अन्य संभागीय मुख्यालय की श्रेणी में अजमेर हेतु यह दर 6,00,000 /—रु निर्धारित थी। इसी शर्त के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी अजमेर ने आदेश दिनांक 28.07.2011 द्वारा बकाया राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था जो बाद में पुनः सुनवाई करने पर जिला आबकारी अजमेर के निर्णय दिनांक 10.06.2014 द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 08.07.2011 यथावत रखा गया तथा विद्वान आबकारी आयुक्त द्वारा भी यह निर्णय यथावत रखा गया है।

9. विचाराधीन प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि प्रार्थीया अनुज्ञाधारी की कम्पोजिट दुकान नगर निगम अजमेर की सीमा से 5 किलोमीटर तक की दूरी में अवस्थित है या 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है। जिला आबकारी अधिकारी अजमेर की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 24 पर पटवारी, पटवार मण्डल पालरा के प्रमाण पत्र क्रमांक 742/2010 दिनांक 04.12.2010 की फोटो प्रति में दूरी 5 किलोमीटर से अधिक बताई है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 27 पर उपलब्ध फोटो प्रति में तहसीलदार अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 946 दिनांक 10.02.2011 में दुकान अजमेर नगर निगम की सीमा परिधि से श्रीनगर रोड़ होते हुए 6.50 किलोमीटर की दूरी पर एवं नसीराबाद रोड़, औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए नगर निगम की सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित होना बताया है। पृष्ठ सं. 57 पर आबकारी निरीक्षक अजमेर ग्रामीण के पत्र क्रमांक 1278 दिनांक 15.12.2010 में मौके की जांच में किरानीपुरा रेलवे फाटक से जयपुर ब्यावर हाईवे होते हुए उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान 5 किलोमीटर की दूरी पर बताई है तथा पर्वतपुरा चौराहे से ब्यावर जयपुर हाईवे पर आते समय नगर निगम अजमेर की सीमा से करीब 4 किलोमीटर होने का उल्लेख है। पृष्ठ सं. 58 पर उपलब्ध तहसीलदार अजमेर के पत्र दिनांक 10.03.2011 के अनुसार उक्त दुकान अजमेर नगर निगम सीमा परिधि से

sm—



लगातार.....5

पालरा जी ग्लुकोज बिस्किट फैक्ट्री 115/39 से लगभग 4 किलोमीटर की परिधि में बताई है तथा स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा पूर्व में माखुपुरा चौकी चुंगी को मुख्य बिन्दु मानकर श्रीनगर रोड हेतु हुए 6.50 किलोमीटर की दूरी पर पया गया था तथा नसीराबाद रोड औद्योगिक क्षेत्र होते हुए 6 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया था किन्तु आयुक्त नगर निगम के पत्र का अवलोकन करने के पश्चात् पालरा जी ग्लुकोज बिस्किट फैक्ट्री 115/39 से लगभग 4 किलोमीटर नगर निगम सीमा से दूरी पर हैं। आबकारी निरीक्षक वृत्त अजमेर ग्रामीण के पत्र क्रमांक एसपीएल-2 दिनांक 27.05.2014 में दुकान 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होना बताया है। जिला आबकारी अधिकारी अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 10.06.2014 में उपरोक्त दुकान आबकारी निरीक्षण अजमेर ग्रामीण की रिपोर्ट दिनांक 27.05.2014 व तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट जिसमें देसी मदिरा दुकान पालरा अजमेर नगर निगम की सीमा से 4 किलोमीटर की दूरी पर संचालित होना बताया है, के आधार पर दुकान को नगर निगम अजमेर की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में मानते हुए निर्णय पारित किया है। विद्वान आबकारी आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 16.11.2015 में आबकारी निरीक्षक, शहर उत्तर व आबकारी निरीक्षक अजमेर ग्रामीण एवं तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर दुकान को नगर निगम अजमेर की सीमा से 4 किलोमीटर होना माना है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में दुकान को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मानकर कम्पोजिट राशि वसूल की गई थी। बाद में विभाग ने निरीक्षण में 5 किलोमीटर से कम दूरी पाई। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 04.12.2010 व तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 10.02.2011 में दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है जबकि विभाग के आबकारी निरीक्षकों व तहसीलदार के पश्चातवर्ती रिपोर्ट दिनांक 10.03.2011 में दूरी 4 किलोमीटर बताई है। इस प्रकार पत्रावली में भिन्न-भिन्न व विरोधाभासी रिपोर्ट है तथा मुख्य विवादित बिन्दु कि दुकान की अवस्थिति नगर निगम अजमेर की सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी तक है या अधिक है, का निस्तारण विधिवत एवं संतोषजनक तरीके से नहीं हुआ है जिसके निस्तारण हेतु प्रकरण विद्वान आबकारी आयुक्त को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि वे संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करे तथा मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित करे कि दुकान स्वीकृति के समय नगर निगम अजमेर की सीमा से संबंधित नक्शा आदि दस्तावेज प्राप्त कर रिपोर्ट के संलग्न

२३७

for

लगातार.....6

करते हुए दुकान स्वीकृति की लोकेशन के आधार पर प्रार्थीया को सूचित करते हुए स्वयं जिला आबकारी अधिकारी मौका निरीक्षण करे व फर्द मौका रिपोर्ट, नगर निगम सीमा से दुकान की अवस्थिति को दर्शाते हुए नजरी नक्शा रिपोर्ट के संलग्न करते हुए दूरी के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाये तथा उपरोक्तानुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय निष्कर्षों सहित पारित करें।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 16.11.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान आबकारी आयुक्त को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करे तथा मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित करे कि दुकान स्वीकृति के समय नगर निगम अजमेर की सीमा से संबंधित नक्शा आदि दस्तावेज प्राप्त कर रिपोर्ट के संलग्न करते हुए दुकान स्वीकृति की लोकेशन के आधार पर प्रार्थीया को सूचित करते हुए स्वयं जिला आबकारी अधिकारी मौका निरीक्षण करे व फर्द मौका रिपोर्ट, नगर निगम सीमा से दुकान की अवस्थिति को दर्शाते हुए नजरी नक्शा रिपोर्ट के संलग्न करते हुए दूरी के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाये तथा उपरोक्तानुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय निष्कर्षों सहित पारित करें। उभयपक्ष विद्वान आबकारी आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 29.05.2017 को पेश हों।

13. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य


28.4.2017
(मदनलाल)
सदस्य